


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड(ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 263] नई दिल्ली, बुधवार, मई 24, 1978/जेठ 3, 1900
No. 263] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 24, 1978/JAYISTHA 3, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 1978

क्र. आ. 852(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 में और
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य आबंटन) (एक राँ उनतीसवाँ
संशोधन) नियम, 1978 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2 भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 में, द्वितीय अनुसूची में—

(क) शीर्षक “कृषि और सिंचाई मंत्रालय” के अंतर्गत “क कृषि विभाग” के
अंतर्गत प्रविष्टि 21क के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए, नामश —
“21कक कार्रवाई बाढ़ 1 और 2, और उससे सम्बद्ध सभी मामलों।

(ख) शीर्षक "पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय" के अंतर्गत, उपशीर्षक "रू. पुनर्वास विभाग" के अंतर्गत प्रविष्टि 11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए, नामशः—

"11. समय-समय पर प्रधान मंत्री द्वारा निर्दिष्ट किए गए विशेष क्षेत्रों का विकास।"

नीलम संजीव रेड्डी, राष्ट्रपति

[सं. 74/2/1/78-सी. एफ.]

आर. सी. भार्गव, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 1978

S.O. 352(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and twenty-ninth Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule—

(a) under the heading "MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (KRISHI AUR SINCHAI MANTRALAYA)", under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF AGRICULTURE (KRISHI VIBHAG)", after entry 21A., the following entry shall be inserted namely :—

"21AA. Operation Flood I and II, and all matters pertaining thereto.";

(b) under the heading "MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION (POORTI AUR PUNARVAS MANTRALAYA)", under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF REHABILITATION (PUNARVAS VIBHAG)", for entry 11, the following entry shall be substituted, namely :—

"11. Development of such special areas as may be indicated by the Prime Minister from time to time."

N. SANJIVA REDDY, President

[No 74/2/78-CF]

R. C. BHARGAVA Jt. Secy.